निबंधन सं० पी० टी०—40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 वैशाख 1928 (श०)

(सं० पटना 386) पटना, वृहस्पतिवार, 4 मई 2006

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचनाएं

3 मई 2006

सं० एल० जी० 1-05/2006/लेज-103 —बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 25 अप्रील, 2006 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

[बिहार अधिनियम 10, 2006]

भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन)(संशोधन), अधिनियम,2006

बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के संतावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1.संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ । —(1) यह अधिनियम बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम ,2006 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा(3)का संशोधन ।—बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम ,1961 इस हद तक संशोधन किया जाता है :-

भू-हदबन्दी अधिनियम बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम ,1961 की धारा-16 (3) में समाहर्त्ता/ अपर समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण मामला प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर पर ही दायर किया जा सकेगा, जिस पर उनके द्वारा सुनवाई के पश्चात् आदेश पारित किया जा सकेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

3 मई 2006

सं०-एल०जी०-1-05/2006/लेज-104—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा 25 वीं अप्रील,2006 को अनुमत बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन)अधिनियम,2006 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है,जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 10,2006]

THe Bihar Land Reforms (Fixation of ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) (Amendment) Act, 2006

AN

ACT

To Amend the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquistion of Surplus Land)Act,1961.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Fifty Seventh Year of the Republic of India as follows :-

1.*Short title, extent and commencement.*—(1) This Act may be called the Bihar Land Reforms (fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land)(Amendment) Act,2006.

(2) It shall extend to the whole of State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2.*Amendment of sub-section (3) of section-16 of the said Act.*—Section-16(3) of the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land)Act,1961 is hereby amended to the extent given below:-

The revision,against the order passed by the Collector or Additional Collector under section-16(3) of the Act will be before the Divisional Commissioner who after hearing the parties shall pass orders in the case filed before him.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण),386—571+400—डी०टी०पी०